षोडश बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-01.07.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स० श्री शिवचन्द्र राम, स०वि०स० श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स० श्री मो० नेमतुल्लाह, स०वि०स० श्री आलोक कुमार मेहता, स०वि०स०	विगत चार वर्षों से बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर एवं आसपास के जिलों में AES (एक्युट इनसेफलाइटिस सिंड्रोम) के प्रभाव से लगभग 450 बच्चों की तथा वर्तमान वर्ष में दिनांक-26.06.2019 तक राज्य के 172 मासूमों की जान जा चुकी है । वर्ष 2019 के स्वच्छता सर्वेक्षण के रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सफाई, दवाई और समुचित आहार जैसे मूलभूत सुविधा देने में विफल रही है । राज्य के बच्चों की आधी आबादी कुपोषित है । कुपोषण भी AES का कारक है । राज्य सरकार जी०डी०पी० के 8 प्रतिशत की जगह मात्र 4.7 प्रतिशत ही स्वास्थ्य पर खर्च कर पा रही है । वर्ष 2014 में ही 100 बेड I.C.U. (N.I.C.U./P.I.C.U) बनाने की घोषणा की उपलब्धता शुन्य मात्र है । राज्य में 28391 व्यक्ति पर 1 चिकित्सक कार्यरत हैं, जबकि 11373 डॉक्टरों की जगह मात्र 6712 डॉक्टर ही कार्यरत हैं । राज्य में 8645 लोगों की आबादी पर सिर्फ 1 बेड उपलब्ध है और 1210 Sub Center, 131 PHC तथा 389 CHC की कमी बनी हुई है । राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवा पर प्रति व्यक्ति मात्र 1.30 रूपये रोज खर्च करती है । कुपोषण से बचने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी गई राशि का सदुपयोग राज्य सरकार नहीं कर पा रही है । अतएव उपर्युक्त संकट से जुझते बिहार की जनता को बचाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	स्वास्थ्य

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०स० श्री संजय सरावगी, स०वि०स० श्री मिथिलेश तिवारी, स०वि०स० श्री नितिन नवीन, स०वि०स० श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव, स०वि०स० श्री सुधांशु शेखर, स०वि०स० श्री जिवेश कुमार, स०वि०स० श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० (क्षेत्र सं०-224) श्री राजू तिवारी, स०वि०स० श्री संजीव चौरसिया, स०वि०स० श्री प्रकाश राय, स०वि०स० श्री रवि ज्योति कुमार, स०वि०स० श्री रविन्द्र यादव, स०वि०स० श्री विद्या सागर सिंह निषाद, स०वि०स० श्री चन्द्रसेन प्रसाद स०वि०स० श्रीमती बेबी कुमारी, स०वि०स०	बिहार राज्य के गन्ना उत्पादकों के पेराई सत्र 18-19 का करोड़ों रूपये का बकाया चीनी मिलों के जिम्मे है । ससमय पैसा का भुगतान नहीं होने से कृषकों की हालत काफी खराब है । सरकार के निर्णय के मुताबिक गन्ना आपूर्ति के 14 दिन के अन्दर पैसे का भुगतान कर देना है । अतएव चीनी मिलों के जिम्मे बकाये राशि की शीघ्र भुगतान हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	गन्ना उद्योग

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-08/19- 597 / वि०स०, पटना, दिनांक 28 जून, 2019 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / स्वास्थ्य विभाग तथा गन्ना उद्योग विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28/6/19
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-08/19- 597 / वि०स०, पटना, दिनांक 28 जून, 2019 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

28/6/19
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।